राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 61/2019

हरिनारायण रैगर **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, वित्त भवन, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 15.01.2019

आदेश की दिनांक : 05.11.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री महेन्द्र शाह, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा संशोधन अपील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर बहस सुनी गई एवं शामिल मिसल कर रिकार्ड पर लिया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 31.10.2018 एवं आदेश दिनांक 20.09.2019 जिसके द्वारा अपीलार्थी को पदोन्नति प्रदान नहीं की गई, को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2017–18 अथवा वर्ष 2018–19 के विरूद्ध प्रशासनिक

अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुये समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 27.11.1980 के द्वारा एलडीसी के पद पर स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग में हुई थी और आदेश दिनांक 04.09.1984 के द्वारा उसे यूडीसी एवं आदेश दिनांक 02.01.2007 के द्वारा सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई तथा रिक्ति वर्ष 2013–14 के विरूद्ध उसे आदेश दिनांक 08.07.2013 के द्वारा अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति दी गई। उनका कथन है कि अपीलार्थी अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर रिक्ति वर्ष 2013–14 के विरूद्ध सबसे वरिष्ठ कार्मिक था और आगामी पदोन्नति प्रशासनिक अधिकारी के पद पर है, जिसमें 3 वर्ष का अनुभव आवश्यक है और अपीलार्थी 3 वर्ष का अनुभव भी रखता है, परंतु श्री मदन, इसको भी प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई और तत्पश्चात् श्री नाथीलाल गौतम को पदोन्नति दी गई। आदेश दिनांक 18.04.2001 के क्रम में 2 पद प्रशासनिक अधिकारी के विभाग में सृजित किये गये और इस प्रकार रिक्ति वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 के विरूद्ध प्रशासनिक अधिकारी के पद के लिये अपीलार्थी योग्य था, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने कई अभ्यावेदन प्रस्तुत किये, परंतु उनका कोई निराकरण नहीं किया गया। अपीलार्थी अनुसूचित जाति वर्ग में नियुक्त हुआ था और इसलिये सामान्य वर्ग से वह पदोन्नत नहीं किया जा सकता और इस प्रकार आदेश दिनांक 31.10.2018, जिसके द्वारा अपीलार्थी को पदोन्नति प्रदान किये जाने के संबंध में इनकार किया गया है, विधि एवं नियमों के विपरीत है। अपीलार्थी प्रारंभ में अनुसूचित जाति वर्ग से नियुक्त हुआ और उसे सामान्य वर्ग के विरूद्ध पदोन्नत किया गया और इस प्रकार वरिष्ठता के आधार पर अपीलार्थी प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्राप्त करने का हकदार है, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को उक्त पद पर पदोन्नति से वंचित किया जाना विधि एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 31.10.2018 एवं आदेश दिनांक 20.09.2019 जिसके द्वारा अपीलार्थी को पदोन्नति प्रदान नहीं की गई, को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को रिक्ति

वर्ष 2017–18 अथवा वर्ष 2018–19 के विरूद्ध प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुये समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कनिष्ठ लिपिक के पद पर अनुसूचित जाति आरक्षित वर्ग में दिनांक 27.11.1980 को हुई, तत्पश्चात् उसे यूडीसी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर आरक्षण का लाभ देते हुये पदोन्नति दी गई। प्रशासनिक अधिकारी के रिक्त 2 पदों पर पदोन्नति हेतु वर्ष 2018–19 की वरिष्ठता सूची अनुसार उपलब्ध सेवा में प्रवेश के समय की वरिष्ठता सूची अनुसार अपीलार्थी सामान्य वर्ग से कनिष्ठ है तथा एल शेप रोस्टर बिंदु अनुसार पदोन्नति हेतु आरक्षित वर्ग का बिंदु भी नहीं है। परिपत्र दिनांक 24.06.2008 एवं अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 के दिशा–निर्देश/प्रावधानानुसार सामान्य वर्ग की रिक्ति के विरूद्ध अपीलार्थी के नाम पर विचार नहीं किया जा सकता और पारिणामिक वरिष्ठता का लाभ लेकर वरिष्ठ होने के कारण सामान्य वर्ग की रिक्ति के विरूद्ध पदोन्नति पर विचार नहीं किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी को पदोन्नति प्रदान नहीं की गई। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 27.11.1980 के द्वारा एलडीसी के पद पर स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग में हुई थी और आदेश दिनांक 04.09.1984 के द्वारा उसे यूडीसी एवं आदेश दिनांक 02.01.2007 के द्वारा सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई तथा रिक्ति वर्ष 2013–14 के विरूद्ध उसे आदेश दिनांक 08.07.2013 के द्वारा अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति दी गई। अपीलार्थी अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर रिक्ति वर्ष 2013–14 के विरूद्ध सबसे वरिष्ठ कार्मिक था और आगामी पदोन्नति प्रशासनिक अधिकारी के पद पर है, जिसमें 3 वर्ष का अनुभव आवश्यक है और अपीलार्थी 3 वर्ष का अनुभव भी रखता है, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को उक्त पद पर पदोन्नति प्रदान नहीं की गई। जहां तक अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2017–18 एवं

2018–19 के विरूद्ध प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत नहीं किये जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कनिष्ठ लिपिक के पद पर अनुसूचित जाति आरक्षित वर्ग में दिनांक 27.11.1980 को हुई, तत्पश्चात् उसे यूडीसी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर आरक्षण का लाभ देते हुये पदोन्नति दी गई। प्रशासनिक अधिकारी के रिक्त 2 पदों पर पदोन्नति हेतु वर्ष 2018–19 की वरिष्ठता सूची अनुसार उपलब्ध सेवा में प्रवेश के समय की वरिष्ठता सूची अनुसार अपीलार्थी सामान्य वर्ग से कनिष्ठ है तथा एल शेप रोस्टर बिंदु अनुसार पदोन्नति हेतु आरक्षित वर्ग का बिंदु भी नहीं है। परिपत्र दिनांक 24.06.2008 एवं अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 के दिशा–निर्देश/प्रावधानानुसार सामान्य वर्ग की रिक्ति के विरूद्ध अपीलार्थी के नाम पर विचार नहीं किया जा सकता और पारिणामिक वरिष्ठता का लाभ लेकर वरिष्ठ होने के कारण सामान्य वर्ग की रिक्ति के विरूद्ध पदोन्नति पर विचार नहीं किया गया। इस प्रकार हम अपीलार्थी के तर्क में कोई बल नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष